

9, CMS  
2020/00088  
08/02/20

अज्ञे अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री प्रपूराम

हलका भूका कवातसिंह

पुत्र श्री वीरमाया जाति हरीकण

निवासी भूका कवातसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 85 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका कवातसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2021 में मौजा भूका कवातसिंह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1050 वर्गफीट किस्म भूमि 3A मु. 30 पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर पत्रावली पेश हुई और सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जेचपुर प्यारे से पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।	प्रपूराम
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई और सायल उपस्थित। गैर सायल ने जबाब हेतु समय याद जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश हो।	उशराम

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

27-04-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की ताल्ल से  
उन्हे वहील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय  
चाह आ दिया जाता पत्रावली दिनांक 10-02-2021  
को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

*[Handwritten signature]*

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीछलीक अधिकारी भाण उभरी  
पर सिवाना पचारे हे पत्रावली दिनांक 17-2-2021  
को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपाष्टि।  
गैर सामल को जवाब हेतु अधिकारी अक्सर डिण  
जाकर पत्रावली 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर  
सामल को जार-जार जवाब हेतु अक्सर विपे जेत  
के उपरान्त भी कोई विधि समय साध्य पुस्तुत  
नीं किये गैर सामल को अतिउभी मात्रे  
इए पत्रावली फैलल सुमार है। निर्णय  
मलग से लिख्य जाकर शामिल पत्रावली है।  
पत्रावली फैलल सुमार होकर दफ्तल दफ्तल है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर